[1996]3 उम०नि०प० 210

राज्य

बनाम

एस० जे० चौधरी

13 फरवरी 1996

न्यायमूर्ति जे० एस० वर्मा, न्यायमूर्ति जी० एन० रे, न्यायमूर्ति एन०पी० सिंह, न्यायमूर्ति फैजानुद्दीन, और न्यायमूर्ति जी०टी० नानावती

साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 45—परिधि—टाइपलेख विशेषज्ञ की राय—साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि उक्त धारा में प्रयुक्त "हस्तलेख" शब्द के अन्तर्गत टाइप लेख भी आता है।

प्रत्यर्थी का विचारण दंड संहिता की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 के अधीन दण्डनीय आरोपों पर किया जा रहा था। अभियोजन-पक्ष एक टाइपराइटर की अनन्यता पर आधारित, जिस पर तात्विक दस्तावेज अभिकथित रूप से टंकित किया गया था, प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले कुछ तथ्यों के सबूत के लिए टाइपराइटर विशेषज्ञ की परीक्षा करना चाहता था किन्तु एक मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आधार पर टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय के साक्ष्य में ग्राह्यता के प्रति आक्षेप को विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और उसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशेष इजाजत पर अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 का स्पष्ट अर्थ यह है कि न्यायालय विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता के बारे में राय बनाने के लिए उस बात पर ऐसी विदेशी विधियां, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय को सुसंगत तथ्य मान सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला अथवा हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय जो उसमें विशेषज्ञ कहलाते हैं, सुसंगत तथ्य हैं। ऐसे विशेषज्ञों की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के फलस्वरूप सुसंगत तथ्य के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है। धारा 45 में हस्तलेख शब्द के अर्थान्तर्गत टंकण लेख होने के प्रश्न पर चाहे कुछ भी मत अपनाया गया हो, धारा 45 में हस्तलेख शब्द से स्वतन्त्र और उसके अतिरिक्त आया विज्ञान शब्द यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि टाइपराइटर के इस्तेमाल में विशेष रूप से कुशल और टाइपराइटरों के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति को राय इस विज्ञान में विशेषज्ञों की राय होगी और उस टाइपराइटर विशेष की पहचान के प्रयोजन के लिए जिस पर लेख टंकित हुआ है, टंकण लेख की अनन्यता संबंधी उसको राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन सुसंगत तथ्य है। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में मूलतः बनाया गया था तो उसमें हस्तलेख के साथ-साथ टंकण लेख का विनिर्दिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उस समय टाइपराइटर को व्यावहारिक तौर पर कोई नहीं जानता था। बहरहाल, मूल रूप से अधिनियमित धारा 45 में प्रयुक्त और विदेशी विधि और हस्तलेख पदों के साथ-साथ इस धारा में "विज्ञान" या "कला" पद या 1899 में अंतःस्थापित अंगुली चिह्नों पद यह इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उसमें विज्ञान या कला शब्द का व्यापक अर्थ है। अतः विज्ञान या कला शब्दों का धारा 45 में संकीर्ण अर्थ नहीं हो सकता और विज्ञान और कला शब्दों में से प्रत्येक का अर्थ व्यापक रूप से करना होगा जिसकी परिधि के अंतर्गत इन विषयों में से प्रत्येक शाखा में विशेषज्ञ की राय भी शामिल होगी; जब कभी न्यायालय को विज्ञान या कला के किसी पहलू पर संबंधित मुद्दे पर राय बनानी होगी। (पैरा 6, 7)

"विज्ञान" शब्द के कोशीय अर्थ के निर्देश में साधारण रूप से समझे जाने वाले विज्ञान शब्द का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में प्रयुक्त विज्ञान शब्द माना जाना चाहिए। "विज्ञान" शब्द के अर्थ से यह स्पष्ट है कि किसी टाइपराइटर के विशिष्ट लक्षणों के अध्ययन कौशल या तकनीक और विवादग्रस्त टाइपलेख का किसी विशिष्ट टाइपराइटर पर स्वीकृत टाइपलेख से यह तय करने के लिए मिलान कि क्या विवादग्रस्त टाइपलेख उसी टाइपराइटर पर किया गया था, दो टाइपलेखों के, उनकी विशिष्टताओं के निर्देश में, वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है तो विशेषज्ञ द्वारा निर्मित राय मान्य सिद्धांतों पर आधारित होती है जो वैज्ञानिक अध्ययन को विनियमित करते हैं। अतः विषय में अपेक्षित विशेष कौशल रखने वाले द्वारा इस प्रकार की बनाई गई राय विज्ञान की किसी शाखा में एक विशेषज्ञ की राय होती है।

ऐसी राय विज्ञान की शाखा में विशेषज्ञ की राय है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि टाइपलेखों के बारे में एक विशिष्ट टाइपराइटर पर प्रश्नगत दस्तावेज टाइप किए जाने के बारे में विशेषज्ञ की राय एक विशिष्ट टाइपराइटर के महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षणों के निर्देश में टाइप लेख के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है और विशेषज्ञों की अंतिम राय वैज्ञानिक आधार पर दी जाती है। टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय ऐसे व्यक्ति की राय है जो उस चीज के संबंध में, विज्ञान की उस शाखा में विशेष रूप से कुशल है जिसके निर्देश में न्यायालय को मामले में विनिश्चय के लिए उठे मुद्दे पर राय बनानी है। धारा 45 में प्रयुक्त 'विज्ञान" शब्द के नैसर्गिक अर्थ के अनुसार स्पष्ट अर्थान्वयन करने पर यह निष्कर्ष अपरिहार्य है तथा इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए इस तर्क पर निर्भर करना आवश्यक नहीं है कि धारा 45 में "हस्तलेख" शब्द के अंतर्गत "टाइपलेख" भी होगा। (पैरा 8, 9, 10)

न्यायिक अर्थान्वयन की दीर्घ परिपाटी जिसके आधार पर तार (टेलीग्राफ) शब्द के अंतर्गत टेलीफोन पढ़ना 1863 और 1869 के अधिनियमों में एक शब्द के अंतर्गत आता है जिस समय टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था, वर्तमान मामले में भी 1872 के अधिनियम में हस्तलेख शब्द के अर्थान्तर्गत टाइपलेख पढ़ने के लिए उपलभ्य होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1872 में हस्तलेख से जो समझा जाता था वह वर्तमान में उस उपबन्ध के अधिनियमन के एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद आवश्यक रूप से टाइपलेख भी शामिल समझा जाना चाहिए। चूंकि अब टंकण हस्तलेखन से अधिक सामान्य बन गया है और यह परिवर्तन टाइपराइटरों की उपलब्धता तथा 1872 में इस अधिनियम के बनने के बहुत बाद उनके आम प्रचलन के फलस्वरूप हुआ। यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक अतिरिक्त कारण है कि इस संदर्भ में टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन ग्राह्य है। (पैरा 19)

उलटा गया निर्णय

		पैरा
[1952]	ए०आई०आर० 1952 एस० सी० 343 = [1952] एस०सी०आर० 1091 : हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य;	2, 3, 4

दाण्डिक (अपीली) अधिकारिता : 1987 की दाण्डिक अपील सं० 461.

संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील।

अपीलार्थी की ओर से, श्री ए० जयराम, अपर महासालिसिटर, श्री ए० सुब्बराव और श्री पी० परमेश्वरन्

प्रत्यर्थी की ओर से स्वयं

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति जे० एस० वर्मा ने दिया।

न्या० वर्मा—संविधान न्यायपीठ को इस अपील में किया गया निर्देश विधि के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के विनिश्चय के लिए है—क्या टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है ?

2. 1983 के सेशन मामला सं० 36 में अपर सेशन न्यायाधीश, नई दिल्ली के न्यायालय में प्रत्यर्थी एस० जे० चौधरी का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 के अधीन दण्डनीय आरोपों पर किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष एक टाइपराइटर की अनन्यता पर आधारित जिस पर तात्विक दस्तावेज टंकित किया गया, अभिकथित किया गया था, प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले कुछ तथ्यों के सबूत के लिए एक टाइपराइटर विशेषज्ञ की परीक्षा करना चाहता था। **हनुमन्त** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के आधार पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षिप्त में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 45 के अधीन टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय के साक्ष्य में ग्राह्यता के प्रति आक्षेप किया गया था और विचारण न्यायालय ने उस आक्षेप को स्वीकार कर लिया था। उस आदेश को चुनौती देने के लिए अभियोजन पक्ष ने 1987 का दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 105 दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया, इसलिए विशेष इजाजत लेकर यह अपील की गई है।

3. वर्तमान दाण्डिक अपील की सुनवाई इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों के खण्ड न्यायपीठ के समक्ष की गई। इस मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों के खण्ड न्यायपीठ द्वारा **हनुमन्त**[1] वाले मामले में व्यक्त मत के सही होने पर सन्देह किया गया और अपीलार्थी की ओर से उस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। तदनुसार, 22 मार्च, 1990 के आदेश द्वारा खण्ड न्यायपीठ ने यह मत अपनाया है कि इस अपील में अन्तर्ग्रस्त इस महत्वपूर्ण विधि प्रश्न पर एक

[1] ए०आई०आर० 1952 एस०सी० 343 = [1952] एस०सी०आर० 1091.

बृहत्तर न्यायपीठ को विचार और विनिश्चय करना चाहिए। इस अपील में विनिश्चय के लिए यह विधि प्रश्न ही एकमात्र मुद्दा है। उस पर विनिश्चय से इस अपील का निपटारा हो जाएगा।

4. हनुमन्त[1] वाले मामले में पेश किए गए तर्कों में से एक तर्क के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह कहा गया था कि :—

"इसके बाद यह तर्क दिया गया कि वह पत्र उन दिनों कार्यालय में विद्यमान टाइपराइटर अर्थात् आर्टिकल "बी" पर टंकित नहीं किया गया था और वह आर्टिकल "ए" वाले टाइपराइटर पर टंकित किया गया था जो 1946 के अन्त तक नागपुर नहीं पहुंचा था। इस मुद्दे पर कुछ विशेषज्ञों का साक्ष्य पेश किया गया था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे विशेषज्ञों की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन ग्राह्य नहीं है क्योंकि वे अधिनियम की धारा 45 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते। उच्च न्यायालय के इस मत में हमारे समक्ष प्रतिवाद नहीं किया गया। अजीब बात है कि उच्च न्यायालय में विद्वान् न्यायाधीश ने यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया था कि विशेषज्ञ का साक्ष्य अग्राह्य है फिर भी उन्होंने इसका विवेचन किया और इसका कुछ अवलम्ब लिया। विचारण मजिस्ट्रेट और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस साक्ष्य का प्रयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया कि चूंकि पत्र आर्टिकल "ए" पर टंकित किया गया था जो दिसम्बर, 1946 के अन्त तक नागपुर नहीं पहुंचा था। इसलिए प्रकट है कि यह पत्र पूर्व दिनांकित था। अतः ग्राह्य साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष की उपेक्षा करनी होगी।" (रेखांकन किया गया)

उक्त विनिश्चय में उपरोक्त उद्धरण अपनाया गया था। इस मत का आधार था कि टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम के अधीन ग्राह्य नहीं है और यह अधिनियम की धारा 45 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती। उल्लेखनीय बात यह है कि उस मामले में उच्च न्यायालय के इस मत का इस न्यायालय में भी प्रतिवाद नहीं किया गया था और इसीलिए हनुमंत[1] वाले मामले में का विनिश्चय इसी रियायत पर आधारित था कि टाइपराइटर विशेषज्ञ का साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। हमारी राय में हनुमंत[1] वाले मामले में का विनिश्चय इस मुद्दे के निश्चायक के रूप में नहीं माना जा सकता हालांकि इस मताभिव्यक्ति के आधार पर टाइपराइटर विशेषज्ञ का साक्ष्य अग्राह्य होने के कारण छोड़ दिया गया था। अतः विधि के इस प्रश्न का उत्तर हनुमन्त[1] वाले मामले के विनिश्चय से और आगे सहायता लिए बिना देना होगा।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में तथ्यों की सुसंगति विषयक अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर 55 तक ही और उसमें धारा 45 से 51 तक इस शीर्षक के अन्तर्गत हैं। "अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है"। धारा 45 इस प्रकार है :—

"जब कि न्यायालय विशेषज्ञों की राय —को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में (1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित) या हस्तलेख (1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित) या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।"

6. धारा 45 दृष्टान्त "ग" इस प्रकार है :—

"(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज "क" द्वारा लिखी गई थी। एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका "क" द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेजें एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं।"

धारा 45 का स्पष्ट अर्थ यह है कि न्यायालय विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता के बारे में राय बनाने के लिए उस बात पर ऐसी विदेशी विधियां विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय को सुसंगत तथ्य मान सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला अथवा हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय जो उसमें विशेषज्ञ कहलाते हैं, सुसंगत तथ्य हैं। ऐसे विशेषज्ञों की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के फलस्वरूप सुसंगत तथ्य के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है।

7. हमारी राय में धारा 45 में हस्तलेख शब्द के अर्थान्तर्गत टंकण लेख होने के प्रश्न पर चाहे कुछ भी मत अपनाया गया हो, धारा 45 में हस्तलेख शब्द से

[1] ए०आई०आर० 1952 एस०सी० 343=[1952] एस०सी०आर० 1091.

स्वतंत्र और उसके अतिरिक्त आया विज्ञान शब्द यह अंश इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि टाइपराइटर के इस्तेमाल में विशेष रूप से कुशल और टाइपराइटरों के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति की राय इस विज्ञान में विशेषज्ञों की राय होगी और उस टाइपराइटर विशेष की पहचान के प्रयोजन के लिए जिस पर लेख टंकित हुआ है, टंकण लेख की अनन्यता संबंधी उसकी राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन सुसंगत तथ्य है। यह प्रकट है कि जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में मूलतः बनाया गया था तो उसमें हस्तलेख के साथ-साथ टंकण लेख का विनिर्दिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उस समय टाइपराइटर को व्यावहारिक तौर पर कोई नहीं जानता था। बहरहाल, मूल रूप से अधिनियमित धारा 45 में प्रयुक्त और विदेशी विधि और हस्तलेख पदों के साथ-साथ इस धारा में "विज्ञान" या "कला" पद तथा 1899 में अंतःस्थापित अंगुली चिह्नों पद यह इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उसमें विज्ञान या कला शब्द का व्यापक अर्थ है। अतः विज्ञान या कला शब्दों का धारा 45 में संकीर्ण अर्थ नहीं हो सकता और विज्ञान और कला शब्दों में से प्रत्येक का अर्थ व्यापक रूप से करना होगा जिसकी परिधि के अंतर्गत इन विषयों में से प्रत्येक शाखा में विशेषज्ञ की राय भी शामिल होगी, जब कभी न्यायालय को विज्ञान या कला के किसी पहलू पर संबंधित मुद्दे पर राय बनानी होगी।

8 "विज्ञान" शब्द के कोशीय अर्थ के निर्देश में साधारण रूप से समझे जाने वाले विज्ञान शब्द का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में प्रयुक्त "विज्ञान" शब्द माना जाना चाहिए। शब्दकोशों में दिए गए कुछ अर्थ निम्न प्रकार हैं:—

द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपेडिक इंग्लिश डिक्शनरी—

"विज्ञान..........विशेष रूप से एक विनिर्दिष्ट प्रकार का अथवा एक विनिर्दिष्ट विषय पर (राजनीति विज्ञान) एक क्रमबद्ध और निर्मित ज्ञान है।

ख. अनुसंधान अथवा......इसके सिद्धांत..."

द न्यू शोर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी—वाल्यूम 2:

"विज्ञान.......2क. अध्ययन से अर्जित ज्ञान विद्या के एक विभाग की जानकारी या प्रवीणता......; 3क. विशिष्ट ज्ञान या अध्ययन शाखा; विद्या का एक मान्यताप्राप्त विभाग....."

कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वुऐज—

"विज्ञान संज्ञा 1. पर्यवेक्षण, प्रयोग और मापतोल पर आधारित पदार्थ एवं भौतिक भूमंडल की प्रकृति और व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन तथा इन तथ्यों का व्यापक शब्दों में वर्णन करने के लिए विधि की रचना। 2. इस प्रकार अधिप्राप्त ज्ञान अथवा उसे अधिप्राप्त करने का आचार। 3. इस ज्ञान की कोई विशिष्ट शाखा; विशुद्ध और प्रायोगिक विज्ञान। 4. एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित कोई ज्ञान निकाय। 5. कौशल या तकनीक.......।"

9. 'विज्ञान' शब्द के अर्थ से यह स्पष्ट है कि किसी टाइपराइटर के विशिष्ट लक्षणों के अध्ययन, कौशल या तकनीक और विवादग्रस्त टाइपलेख का किसी विशिष्ट टाइपराइटर पर स्वीकृत टाइपलेख से यह तय करने के लिए मिलान कि क्या विवादग्रस्त टाइपलेख उसी टाइपराइटर पर किया गया था, दो टाइपलेखों के, उनकी विशिष्टताओं के के निर्देश में, वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है तो विशेषज्ञ द्वारा निर्मित राय मान्य सिद्धांतों पर आधारित होती है जो वैज्ञानिक अध्ययन को विनियमित करते हैं। अतः विषय में अपेक्षित विशेष कौशल रखने वाले द्वारा इस प्रकार की बनाई गई राय विज्ञान की किसी शाखा में एक विशेषज्ञ की राय होती है। ऐसी राय विज्ञान की शाखा में विशेषज्ञ की राय है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है।

10. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि टाइपलेखों के बारे में एक विशिष्ट टाइपराइटर पर प्रश्नगत दस्तावेज टाइप किए जाने के बारे में विशेषज्ञ की राय एक विशिष्ट टाइपराइटर के महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षणों के निर्देश में टाइप लेख के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है और विशेषज्ञों की अंतिम राय वैज्ञानिक आधार पर दी जाती है। टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय ऐसे व्यक्ति की राय है जो, उस चीज के संबंध में, विज्ञान की उस शाखा में विशेष रूप से कुशल है जिसके निर्देश में न्यायालय को मामले में विनिश्चय के लिए उठे मुद्दे पर राय बनानी है। हमारी राय में धारा 45 में प्रयुक्त "विज्ञान" शब्द में नैसर्गिक अर्थ के अनुसार स्पष्ट अर्थान्वियन करने पर यह निष्कर्ष अपरिहार्य है तथा इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए इस तर्क पर निर्भर करना आवश्यक नहीं है कि धारा 45 में "हस्तलेख" शब्द के अंतर्गत "टाइपलेख" भी होगा।

11. फ्रांसिस बैनियन कृत स्टेटूटरी इंटरप्रिटेशन, द्वितीय संस्करण धारा 288 जिसका शीर्षक है "उपधारणा की अद्यतन अर्थान्वियन किया जाए" में एक नियम का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

"* * * *

(2) यह उपधारित किया जाता है कि संसद् का आशय यह होता है कि न्यायालय प्रवर्तनशील अधिनियम का ऐसा अर्थान्वियन करे जो उसमें उस अधिनियम के मूलतः अधिनियमित होने से लेकर जो परिवर्तन हुए हैं उनके लिए जगह बनाने के लिए उसके शब्दों का अनवरत रूप से अद्यतन करता रहे (अद्यतन अर्थान्वियन) जब कि वह विधि ही रहती है; वह हमेशा

जीवन्त मानी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी तारीख को उसे लागू करने में उसे अधिनियम की भाषा का अर्थान्वियन यद्यपि वह अपने समय में लेखबद्ध की गई थी आवश्यकतानुसार वर्तमान विधि के रूप में करना होगा।

* * * * *"

(पृष्ठ 617)

नीचे दी गई टीका में यह उल्लेख किया गया है कि प्रवर्तनशील अधिनियम हमेशा जीवन्त माना जाता है। इससे आगे कहा गया है कि :—

"किसी प्रवर्तनशील अधिनियम के अर्थान्वियन में निर्वचनकर्ता को यह उपधारित करना होता है कि संसद् का आशय अधिनियम को किसी भी आगामी समय ऐसे ढंग से लागू करना होता है ताकि वास्तविक मूल आशय को प्रभावी रूप दिया जा सके। तद्नुसार निर्वचनकर्ता को अधिनियम पारित किए जाने के बाद होने वाले सुसंगत परिवर्तनों का ध्यान रखना पड़ता है जो विधि में सामाजिक अवस्थाओं में, प्रौद्योगिकी में शब्दों के अर्थ में और अन्य बातों में हुए हैं। जैसे कि अमेरिका संविधान एक जीवन्त संविधान माना जाता है। इसी प्रकार प्रवर्तनशील ब्रिटिश अधिनियम जीवन्त अधिनियम माना जाता है। उस अर्थान्वियन के विरुद्ध यह कोई तर्क नहीं है कि आज के अर्थान्वियन में ऐसी कल्पना अंतर्ग्रस्त है कि संसद बहुत पहले ऐसी वस्तुस्थिति के लिए विधि बना रही थी जो उस समय विद्यमान नहीं थी। अधिनियमित शब्दों में संसद् से भौतिक विकास का पूर्वानुमान करने की प्रत्याशा की जाती है। प्रारूपकार भविष्य को पहले से भांपने की कोशिश करेगा और विधि के शब्दों में उसे स्थान देगा।

* * * *

इस प्रकार आज पूर्ववर्ती दिनों की अधिनियमिती का पाठ, उसकी भाषा को वर्तमान अर्थ के ऐसे उपान्तरण के साथ, जो अब मूल विधायी आशय को प्रभावी रूप देगा, कालान्तर में गतिशील प्रसंस्करण के प्रकाश में करना होगा। गतिशील प्रसंस्करण की यथार्थता और प्रभाव से उत्तरोत्तर समायोजन होता रहता है। वर्षानुवर्ष न्यायिक निर्वचन से इसका निर्माण होता रहता है। कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा भी इसका प्रसंस्करण होता है। (पृष्ठ 618-619)।"

12. इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 प्रकृति से ही, एक अनवरत (प्रवर्तनशील) अधिनियम है।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि 1874 में ही पहला व्यावहारिक टाइपराइटर सामने पाया था और ई० रेमिंगटन एण्ड सन्स कम्पनी उसे उसी वर्ष बाजार में लाई थी। बाद में उसे रेमिंगटन टाइपराइटर कहा गया। प्रकट है कि 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टाइपलेख अधिनियम की धारा 45 में लेख के माध्यम से विनिर्दिष्ट तौर पर वर्णित नहीं किया जा सका। तब से निरन्तर और प्रौद्योगिकी में प्रगति हो रही है और उसी प्रकार टाइपराइटर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है जिसके फलस्वरूप लेखन के प्रचलित टंकण के रूप में टाइपराइटरों का आमतौर पर प्रयोग किया जाने लगा है। इसके फलस्वरूप प्रश्नगत टाइपलेखन की परीक्षा से सम्बन्धित विज्ञान की शाखा का विकास हो गया है।

14. एलबर्ट एस० आस्बर्न कृत "क्युस्चण्ड डॉक्युमेन्ट्स", द्वितीय संस्करण में "क्युस्चण्ड टाइपराइटिंग" अध्याय में इस पहलू पर विचार किया गया है और उसमें पृष्ठ 598 पर यह उल्लेख किया गया है :—

"अनन्यता में अन्तर्निहित सिद्धान्त वही है जिसके द्वारा व्यक्ति की अनन्यता तय की जाती है अथवा हस्तलेख पहचाना जाता है। किसी भी दशा में पहचान सामान्य या वर्गगत गुणों और लक्षणों अथवा वर्ग गुणों से प्राप्त विविधता से निर्मित्त विशेषताओं के दूसरे समूह के पश्चात् एक निश्चित समिश्रण पर आधारित है जो उसके बाद व्यष्टिक विशेषताएं हो जाती हैं।

चौदहवें अध्याय में दिए गए गणितीय सिद्धान्तों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर कुछ निशान या विकृत्तियों के संयोग की सम्भावना कितनी अस्पष्ट होती हैं और निशानों तथा विकृतियों का संयोग टाइपराइटरों के साथ भी उतना ही अस्पष्ट है जितना कि व्यक्तियों के साथ।"

15. चार्ल्स सी० स्काट कृत "फोटोग्राफिक एविडेंस", द्वितीय संस्करण जिल्द 1 पुस्तक में "टाइपिंग-आईडियनटिटी ऑर नॉन-आईडियनटिटी ऑफ टाइपिंग" शीर्षक के अन्तर्गत यह लिखा है :—

"किन्तु जैसे किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता विभ्रमकारी हो सकती है किन्तु किसी भी प्रकार उसके अंगुली चिह्नों, उसके हस्तलेख या उसके विश्वसनीय संकेतों के माध्यम से उसकी निजी अनन्यता तय करने में किसी भी प्रकार बाधक नहीं है उसी प्रकार यह तथ्य कि किसी दस्तावेज के टंकण में प्रयुक्त टाइपराइटर का मेक तय करना प्रायः कठिन होता है, इस वैज्ञानिक अवधारण की विश्वसनीयता को कम नहीं करता कि कोई टंकित दस्तावेज एक विशेष मशीन पर टंकित किया गया था चाहे उसका मेक कुछ भी हो। सूक्ष्मदर्शी और परीक्षण प्लेटों के प्रयोग से दस्तावेज परीक्षक इस प्रश्न का अवधारण कर सकता है और

फोटोग्राफिक तुलनात्मक चार्टों के प्रयोग से वह प्रायः असंदिग्ध निश्चितता के साथ अपने निष्कर्ष प्रदर्शित कर सकता है।

ऐसे दस्तावेज पर जो संविवाद की विषय-वस्तु है टाइपलेख के ऐसे नमूनों से तुलना करके जो किसी निश्चित टाइपराइटर पर किए गए होने से ज्ञात है, यह प्रायः अवधारित करना सम्भव है कि क्या उस टाइपराइटर का प्रयोग प्रश्नगत दस्तावेज का टंकण करने में किया गया था अथवा नहीं बशर्ते कि प्रश्नगत दस्तावेज में पर्याप्त टाइपलेख हो और ज्ञात मशीन के नमूने उपयुक्त प्रकार के हों। यह सही है क्योंकि जब भी कोई टाइपराइटर एसेम्बली लाईन से बाहर आता है तो अपने आप में अलग होता है और निश्चित रूप से ऐसा टंकण करता है जैसा दूसरा कोई टाइपराइटर नहीं करता। जब टाइपराइटर एकदम नया होता है तो उसमें और अन्य टाइपराइटरों में अन्तर जो उसी समय एसेम्बली लाईन से निकलकर आता है, अत्यन्त सूक्ष्म और भ्रामक होते हैं किन्तु सिद्धान्तिक तौर पर कम से कम ऐसे अनन्य अन्तर होते हैं जिन्हें सूक्ष्म परीक्षा से खोजा जा सकता है और फोटोग्राफिक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जितना अधिक टाइपराइटर प्रयुक्त किया जा सकता है उतनी ही उसकी व्यष्टिकता बढ़ जाती है और उसके टाइपलेख पहचानना उतना ही आसान हो जाता है। कुछ मामलों में अति उपयोग, दुरुपयोग या कुप्रयोग के माध्यम से टाइपराइटर में बहुत भारी विशिष्टताएं पैदा हो जाती हैं कि उसका टंकण सामान्य दृष्टि से तुरन्त पहचाना जा सकता है।" (पृष्ठ 636)

16. जे० न्यूटन बेकर कृत "लॉ ऑफ डिस्प्यूटिड एण्ड फोर्ज्ड डॉक्युमेन्ट्स" में साधारण आधार पर टाइपलेख की अनन्यता के मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए यह कहा गया है :—

"·····चूंकि टाइपलेखन में एक व्यष्टिकता होती है इसलिए उसकी तुलना और पहचान उसी प्रकार की जा सकती है जैसे कि हस्तलेखन की·····।" (पृष्ठ 453)

उसी पुस्तक में टाइपलेख की व्यष्टिकता का विवेचन करते समय यह उल्लेख किया गया है :—

"टाइपराइटर की अनन्यता कागज पर उसके टाइप छापों के स्वरूप से स्थापित होती है। टाइपलेख की इन विशेषताओं का विश्लेषण, मिलान और भेद किया जा सकता है तथा उन्हें एक खास टाइपराइटर की विशेषताओं के रूप में निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है। यह व्यष्टिक तुलना और विशेषताओं की पहचान टंकित लिखत की असलियत या कूटरचना को सिद्ध कर सकती है और जब साक्ष्य में ग्रहण कर लिया जाए तो पर्याप्त सबूत होती है।

दो या अधिक मशीनों में टाइपलेख में एक समान अनियमितता होना व्यवहारिक रूप से असम्भव है। यह सिद्धान्त सुस्थापित है कि टाइपराइटर लेखन का एक निश्चित सुभिन्न स्वरूप अपने लिए उत्पन्न करता है जिससे किसी एक निश्चित मशीन को अन्य सभी मशीनों से अलग पहचाना जा सकता है। यह सिद्ध करने के लिए कि दो लिखतें एक खास टाइपराइटर पर टंकित की गई थीं दोनों लिखतों में समान विशेषताएं दर्शित की जानी चाहिए और जब इन विशेषताओं पर सामूहिक रूप से विचार किया जाए तो उनका अनिवार्यतः एक ही निष्कर्ष निकलना चाहिए।" (पृष्ठ 451-452)

17. बिल्ली प्रायर बेट्स कृत "टाइपराईटिंग आईडियन्टीफिकेशन (आईडियन्टीफिकेशन सिस्टम फार क्युस्चण्ड टाइपराइटिंग)" नामक पुस्तक में इन सिद्धान्तों का समाहार इस प्रकार दिया गया है :—

"समाहार

टाइपलेख अनन्यता उसी सिद्धान्त पर आधारित है जो हस्तलेख अनन्यता में निहित है अथवा कोई अन्य चीज जिसमें सम्भव भिन्नताओं की अधिक संख्या होती है।"

टंकित दस्तावेज की अनन्यता किसी खास व्यक्ति की अनन्यता जैसी हो सकती है। कोई व्यक्ति आमतौर पर अपने लिंग, आकार, रूप, रंग आदि से पहचाना जा सकता है और साथ ही उदाहरण के लिए किसी तिल या निशान से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार टाइपराइटर भी साधारण तौर पर विशेषताओं से पहचाना जा सकता है जैसा कि टाइप डिजाइन और आकार जो एक खास मेक और मॉडल की सभी मशीनों में होता है, और साथ ही उदाहरण के लिए ई अक्षर पर सैरिफ में कमी से।

अनन्यता के बारे में कोई राय कुछ एक असमानताओं (या समानताओं) पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष मापतौल और विशेषताओं के संमिश्रण से मिलकर निकलता है।

जब तुलना के 12 बिन्दुओं की वैज्ञानिक अनन्यता के लिए अच्छे स्पष्ट नमूने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो पूर्ण निश्चितता के साथ यह दर्शाना सम्भव है कि दस्तावेज किसी खास मशीन द्वारा तैयार किया गया है या नहीं।

दो मशीनों में विद्यमान विशेषता से भिन्न इन विशेषताओं के उसी सम्मिश्रण की गणितीय अधिसम्भाव्यता व्यवहार में शून्य होती है। तुलना के 12 बिन्दुओं का साक्ष्य निश्चायक सबूत हो सकता है।" (पृष्ठ 59)

18. अतः यह स्पष्ट है कि टाइपलेख की परीक्षा और उस टाइपलेख की पहचान जिस पर प्रश्नगत दस्तावेज टंकित किया गया था एक विशिष्ट टाइपराइटर की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के वैज्ञानिक अध्ययन और उसकी व्यष्टिकता पर निर्भर होती है जिनका अध्ययन उस विषय में वृत्तिक कौशल रखने वाले विशेषज्ञ द्वारा किया जा सकता है और इसलिए उस मुद्दे पर उसकी राय विज्ञान के क्षेत्र में एक पहलू से सम्बन्धित होती है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 की परिधि के अन्तर्गत आता है। उस क्षेत्र में विशेषज्ञ की ऐसी राय का साक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी अधिकारिता में ग्राह्य साक्ष्य माना गया है जैसा कि इस विषय की मानक पाठ्य पुस्तकों से प्रकट है।

19. वर्तमान मामले में इस बात का सहारा लिए बिना भी कि धारा 45 में हस्तलेख शब्द के अन्तर्गत टाइपलेख शब्द भी आता है, हमने जो मत अपनाया है उसकी दृष्टि से विज्ञान शब्द इतना व्यापक है कि उससे टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय को ऐसा साक्ष्य मानने की अपेक्षा पूरी हो जाती है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 की परिधि में आता है। बहरहाल, हम यहां यह भी कहना चाहेंगे कि न्यायिक अर्थान्वयन की दीर्घ परिपाटी जिसके आधार पर तार (टेलीग्राफ) शब्द के अन्तर्गत टेलीफोन पढ़ना 1863 और 1869 के अधिनियमों में एक शब्द के अन्तर्गत आता है जिस समय टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था, वर्तमान मामले में भी 1872 के अधिनियम में हस्तलेख शब्द के अर्थान्तर्गत टाइपलेख पढ़ने के लिए उपलभ्य होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1872 में हस्तलेख से जो समझा जाता था वह वर्तमान में उस उपबन्ध के अधिनियमन के एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद आवश्यक रूप से टाइपलेख भी शामिल समझा जाना चाहिए। चूंकि अब टंकण हस्तलेखन से अधिक सामान्य बन गया है और यह परिवर्तन टाइपराइटरों की उपलब्धता तथा 1872 में इस अधिनियम के बनने के बहुत बाद उनके आम प्रचलन के फलस्वरूप हुआ है हमारे लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक अतिरिक्त कारण है कि इस सन्दर्भ में टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन ग्राह्य है।

20. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि रियायत के आधार पर हनुमन्त वाले मामले[1] के निर्णय में उपरोक्त उद्धरण में की गई मताभिव्यक्तियां इस मुद्दे पर विधि की सही स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करती अतः उन्हें इस मुद्दे पर अब सुविधि नहीं मानी जानी चाहिए। पूर्वोक्त कारणों से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वर्तमान मामले में टाइपराइटर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन ग्राह्य है और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया प्रतिकूल मत त्रुटिपूर्ण है। तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं।

अपील मंजूर की गई।

कृ०

[1] ए आई० आर० 1952 एस० सी० 343=[1952] एस०सी०आर० 1091

[1996] 3 उम० नि० प० 216

श्रीमती ज्ञान कौर और अन्य

वनाम

पंजाब राज्य और अन्य;

सूरत लाल

वनाम

राजकुमार और अन्य;

श्रीमती हरबंस सिंह और एक अन्य

वनाम

पंजाब राज्य;

चन्द्र भूषण

वनाम

महाराष्ट्र राज्य;

दिलबाग सिंह और अन्य

वनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

और

लोकेन्द्र सिंह

वनाम

मध्य प्रदेश राज्य

21 मार्च, 1996

न्यायमूर्ति जे०एस० वर्मा, न्यायमूर्ति जी०एन० रे, न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह, न्यायमूर्ति फैजानुद्दीन और न्यायमूर्ति जी० टी० नानावटी

दण्ड संहिता, 1860 —धारा 309—आत्महत्या करने के प्रयत्न के लिए दण्ड—धारा अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं करती है क्योंकि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है—यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण भी नहीं करती है क्योंकि यह कोई न्यूनतम दंड विहित किए बिना और कारावास को अनिवार्य बनाए बिना दंड के देने के मामले में व्यापक विवेक प्रदान करती है—यह सांविधानिक रूप से अविधिमान्य नहीं है।